रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235215
CG-DL-E-19042022-235215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]	**नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2022/चैत्र 29, 1944**
No. 287]	**NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2022/CHAITRA 29, 1944**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 301(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 406 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निधि नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निधि (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निधि नियम, 2014 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 में, उप-नियम (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(कक) 'शाखा' से निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न कोई स्थान अभिप्रेत है।"

3.(1) उक्त नियमों के नियम 3क में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि, कोई कंपनी, जो इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, या निधि (संशोधन) नियम, 2022 के होने या उसके पश्चात् ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहती है, या कंपनी द्वारा प्ररूप एनडीएच-4 में प्रस्तुत किया गया आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा अस्वीकार किया जाता है या अस्वीकृत किए जा चुके मामले में, किसी ऐसे गैर अनुपालन की तारीख से या ऐसे उपरोक्त नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से या प्ररूप एनडीएच-4 में आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो, अपने सदस्यों से जमा प्राप्त नहीं करेगी या इन नियमों के उपबंधों के अधीन कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराएगी।

परंतु यह भी कि यदि कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन की तारीख के पश्चात् या या उक्त नियमों के प्रारंभ होने की तारीख या प्ररूप एनडीएच-4 में किए गए आवेदन की अस्वीकृति की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, किसी प्रकार की जमा राशि को प्राप्त किया गया है, जैसा कि उपर्युक्त चौथे परंतुक में निर्दिष्ट है, तो उसे इस अधिनियम के अध्याय 5 के अनुसरण में एकत्रित किया गया माना जाएगा, और यथा-स्थिति उस अध्याय के अधीन या अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।

परंतु यह भी कि उक्त नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् निधि के रूप में निगमित कंपनियों को इस नियम का कुछ भी लागू नहीं होगा।

(3)(2) उक्त नियमों के नियम 3क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"3ख(I) निधि (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ को और उसके पश्चात्, निधि के रूप में घोषित किए जाने के लिए इच्छुक कोई पब्लिक कंपनी, प्ररूप एनडीएच 4 में, अपने निगमन के एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर, निधि के रूप में घोषणा करने हेतु आवेदन करेगी, यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात्:-

(i) उसके सदस्यों की संख्या दो सौ से कम न हो; और

(ii) उसकी निवल स्वामित्व निधि बीस लाख रूपए या इससे अधिक हो।

(2) कंपनी, प्ररूप एनडीएच-4 के साथ इस उप-नियम के अनुसार, कंपनी के सभी संप्रवर्तकों और निदेशकों द्वारा उपयुक्त और उचित व्यक्ति मापदंड के पूरा करने के संबंध में घोषणा भी संलग्न करेगी।

(3) क्या कोई संप्रवर्तक या निदेशक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है, इसके अवधारण के प्रयोजन हेतु, निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:

(क) व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिक व्यवहार, प्रतिष्ठा, निष्पक्षता और चरित्र; और

(ख) व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई निरर्हताएं न हो, अर्थात्:

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 154 के अधीन आपराधिक शिकायत या सूचना फाइल की गई है जो लंबित है;

(ii) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध आरोप पत्र फाइल की गई है जो लंबित है;

(iii) किसी नियामक प्राधिकरण या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कंपनी विधि, प्रतिभूति विधि या वित्तीय विपणन से संबंधित किसी मामले में ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध रोकने, प्रतिबंध या निष्कासन का कोई आदेश पारित किया गया है जो प्रवृत्त है:

(iv) नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष का कोई आदेश पारित किया गया है;

(v) ऐसा व्यक्ति दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है;

(vi) सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को विकृतचित्त पाया गया है और निष्कर्ष प्रवर्तनशील है;

(vii) ऐसा व्यक्ति स्वैच्छिक व्यतिक्रमी के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(viii) ऐसा व्यक्ति फरार वित्तीय अपराधी घोषित किया गया हो;

(ix) ऐसा व्यक्ति पांच या अधिक निगमित या निधि के रूप में घोषित कंपनियों में निदेशक या तीन या अधिक निगमित या निधि के रूप में घोषित कंपनियों में संप्रवर्तक है।

(4) केंद्रीय सरकार, प्ररूप एनडीएच-4 में फाइल किए गए आवेदन की संपरीक्षा करेगी और पैंतालीस दिनों के भीतर अपना निर्णय कंपनी को संसूचित करेगी:

परंतु यदि प्ररूप एनडीएच-4 में फाइल किए गए आवेदन पर, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के उक्त अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसे अनुमोदित समझा जाएगा।

(5) यह समाधान हो जाने पर कि कंपनी, उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करती है, केंद्रीय सरकार, यथास्थिति इस बात से संतुष्ट होने पर इसे निधि या परस्पर लाभ सोसायटी, के रूप में घोषणा करने की राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

परंतु आवेदन को अनुमोदित करने के केंद्रीय सरकार का निर्णय, कंपनी द्वारा, इस अधिनियम की धारा 10क के अधीन अपेक्षा के अनुसार प्ररूप 20क सहित रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसी कंपनी, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 12 के अधीन दी गई घोषणा के अनुसरण में अपना कारोबार केवल केंद्रीय सरकार से उसके आवेदन को अनुमोदन करने के विनिश्चय को अभिप्राप्त करने पर ही प्रारंभ करेगी।

(6) यदि कंपनी इस नियम के उप-नियम 1 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो, उसे प्ररूप एसएच-7 (शेयर पूंजी के किसी प्रकार के फेरबदल का रजिस्ट्रार को नोटिस) और प्ररूप पीएएस-3 (आबंटन की विवरणी) फाइल करना अनुज्ञात नहीं होगा।

(7) इस नियम के उपबंध निधि (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ होने से पूर्व इस अधिनियम के अधीन निगमित किसी पब्लिक कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में, उप-नियम (1) में:-

(क) 'पांच लाख रुपए' शब्दों के स्थान पर 'दस लाख रुपए' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु निधि (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान प्रत्येक निधि, ऐसे प्रारंभ की तारीख से अठारह मास की अवधि के भीतर इस अपेक्षा का अनुपालन करेगी।

5. उक्त नियमों में, नियम 5 में, निम्नलिखित उप-नियम अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(5) इस नियम के उपबंध, निधि (संशोधन) नियम, 2022 के आरंभ को या उसके पश्चात् निधि के रूप में निगमित कंपनियों को लागू नहीं होंगे।

6. उक्त नियमों के, नियम 6 में, -

(i) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) किसी अन्य कंपनी की प्रतिभूतियां क्रय या अर्जित करना या किसी अन्य कंपनी के निदेशक बोर्ड की संरचना को किसी भी रीति में नियंत्रित करना या इसके प्रबंधन में परिवर्तन के लिए किसी व्यवस्था में प्रविष्ट होना";

(ii) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ठ) निधि के सदस्यों को अग्रिम ऋणों के प्रयोजन के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य स्रोत से ऋण लेना।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) कोई सदस्य अपनी शेयर होल्डिंग के पचास प्रतिशत से अधिक (ऋण लेने या जमा किए जाने की तारीख को) यथा-स्थिति ऐसे ऋण या जमा के अस्तित्व के दौरान, हस्तांतरित नहीं करेगा।

परंतु सदस्य हर समय नियम 7 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित शेयर न्यूनतम संख्या में बनाए रखे रहेगा।

(8) उक्त नियमों में, नियम 9 में,-

(क) "दस लाख" शब्दों के स्थान पर "बीस लाख" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु निधि (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान प्रत्येक निधि, ऐसे आरंभ की तारीख से अठारह मास की अवधि के भीतर इस अपेक्षा का अनुपालन करेगी"।

9. उक्त नियमों के, नियम 10 में,-

(i) उप-नियम (3) में, "क्षेत्रीय निदेशक" शब्दों के पूर्व, "कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप एनडीएच-2 में आवेदन द्वारा", शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (4) और उप-नियम (5) में, "अथवा एकत्रीकरण केंद्र अथवा कार्यालय अथवा जमा केंद्र अथवा चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6)(क) कोई निधि, किसी शाखा को तब तक बंद नहीं करेगी, जब तक,-

(i) विद्यमान जमाओं का भुगतान कैसे किया गया है या किया जाएगा और विद्यमान ऋण को कैसे वसूला जाएगा इस योजना के साथ शाखा को बंद करने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा उसकी बैठक में विधिवत् अनुमोदित न कर दिया गया है; और

(ii) इसने कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ ऐसे बंद होने के कम से कम साठ दिन पूर्व प्ररूप एनडीएच-2 में लागू आवेदन द्वारा क्षेत्रीय निदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न कर लिया है।

परन्तु क्षेत्रीय निदेशक ऐसे आवेदन पर विचार करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।

(ख) क्षेत्रीय निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, निधि-

(i) ऐसे बंद होने के बारे में जनता को सूचित करते हुए, ऐसे स्थान पर जहाँ वह कारोबार करता है, प्ररूप एनडीएच-5 के अनुसार, जन भाषा में एक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करेगी;

(ii) विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से कम से कम तीस दिनों की अवधि के लिए निधि के नोटिस बोर्ड के साथ-साथ संबंधित शाखा पर इस तरह के विज्ञापन या शाखा के बंद होने की सूचना देने वाले नोटिस की एक प्रति चस्पा करेगी,

(iii) ऐसे बंद होने के तीस दिन के भीतर एनडीएच-2 प्ररूप में कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ रजिस्ट्रार को सूचना देगी।";

(iv) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम (7) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) किसी भी स्थान को, जो एक पंजीकृत कार्यालय या एक शाखा नहीं है, जहाँ कोई निधि अपनी गतिविधियाँ करती है, निधि (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ के छह मास के भीतर बंद कर दिया जाएगा और प्ररूप एनडीएच-2 में इस संबंध में रजिस्ट्रार को सूचना भेजी जाएगी।"

10. उक्त नियमों के नियम 12 में, उप-नियम (1) में, "सोना" शब्द के पश्चात, "चाँदी" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

11. उक्त नियमों के नियम 14 में, परंतुक में, "क्षेत्रीय निदेशक के पूर्व अनुमोदन" शब्दों के पूर्व "कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप एनडीएच-2 में आवेदन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमों के नियम 15 में, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परन्तु संयुक्त शेयरधारकों के मामले में, ऋण उस सदस्य को दिया जाएगा जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में पहले होगा।"

13. उक्त नियमों के नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"18. लाभांश – कोई निधि एक वित्तीय वर्ष में पच्चीस प्रतिशत से अधिक लाभांश की घोषणा नहीं करेगी।"

14. उक्त नियमों के नियम 20 में, उप-नियम (6) में, "सोना" शब्द जहाँ कहीं वह आता है, के पश्चात, "या चाँदी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

15. उक्त नियमों के नियम 23क में, प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"परन्तु यह और, कोई कंपनी, जो इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, या उक्त निधि (संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहती है, या ऐसे मामले जहाँ कंपनी द्वारा प्ररूप एनडीएच-4 में प्रस्तुत आवेदन सरकार द्वारा अस्वीकृत किए जाते हैं या किए गए हैं, अपने सदस्यों से जमा राशि को प्राप्त नहीं करेगी या ऐसे गैर-अनुपालन की तारीख से, या उक्त नियमों के प्रारंभ की तारीख से, या प्ररूप एनडीएच-4 में आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन अपने सदस्यों को ऋण उपलब्ध नहीं कराएगी।

परंतु यह भी कि गैर-अनुपालन की तारीख के पश्चात, या उक्त नियमों के प्रारम्भ की तारीख से, या प्ररूप एनडीएच-4 में किए गए आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, किसी कंपनी द्वारा किसी प्रकार की जमा राशि को प्राप्त करना, दूसरे परन्तुक में यथा-निर्दिष्ट है, इस अधिनियम के अध्याय-5 के अनुसरण में एकत्रित किया गया समझा जाएगा, और यथा-स्थिति उस अध्याय के अधीन या अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों, की सभी अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।

16. उक्त नियमों के उपाबंध में,

(1) प्ररूप एनडीएच-2 में -

(क) "अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन" शीर्षक के स्थान पर, "क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन और रजिस्ट्रार को सूचना", शीर्षक रखा जाएगा;

(ख) क्रम सं. 4 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. रखा जाएगा, अर्थात:-

"4. निम्नलिखित के लिए आवेदन फाइल किया गया:-

(i) नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन अवधि बढ़ाने हेतु

(ii) नियम 10 के उप-नियम (3) के अधीन शाखा खोलने हेतु क्षेत्रीय निदेशक की अनुज्ञा हेतु

(iii) नियम 10 के उप-नियम 6 के खंड (क) के अधीन शाखा बंद करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक की अनुज्ञा हेतु

(iv) नियम 10 के अधीन शाखा खोलने या बंद करने हेतु रजिस्ट्रार को सूचना देने हेतु

(v) नियम 10 के अधीन संग्रहण केंद्रों आदि को बंद करने हेतु रजिस्ट्रार को सूचना देने हेतु

(vi) नियम 14 के अधीन भारमुक्त जमाओं को निकालने हेतु क्षेत्रीय निदेशक की अनुज्ञा हेतु"।

(ग) क्रम सं. 6 के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. रखा जाएगा, अर्थात:-

"6. 'आवेदन हेतु कारण'।"

(2) उक्त नियमों के प्ररूप एनडीएच-3 में, क्रम सं. 9 में, (vi) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(vii) शुद्ध स्वामित्व निधिः________";

(3) प्ररूप एनडीएच-4 में-

(i) क्रम सं. 9 को "9(ख)" के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम सं. 9(ख) से पूर्व, निम्नलिखित क्रम सं. अंत:स्थापित किया जाएगाः अर्थात्:-

"9(क) शुद्ध स्वामित्व निधिः_________";

(ii) संलग्नक शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या. 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"5. कंपनी के सभी प्रवर्तकों और निदेशकों द्वारा नियम 3ख के उप-नियम (3) के अनुसार, उपयुक्त और उचित व्यक्तिगत मानदंड को पूरा करने के संबंध में घोषणा;

6. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो"

(4) प्ररूप एनडीएच-4 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"एनडीएच-5

शाखा को बंद करते समय दिए जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप

[निधि नियम, 2014 के नियम 10 के उप-नियम (6) के अनुसरण में]

सूचना दी जाती है कि मैसर्स_______(निधि) जिसका सीआईएन संख्याक__________________ है, ने निम्नलिखित स्थानों पर स्थित निधि की शाखा(ओं)/ एकत्रीकरण केंद्र (द्रों)/एकत्रीकरण कार्यालय (यों)/जमा केंद्र (द्रों) को बंद करने के लिए____________ (संबंधित क्षेत्र) के क्षत्रीय निदेशक का पूर्व अनुमोदन [अनुमोदन संख्या............. तारीख .... द्वारा] प्राप्त कर लिया हैः-

1.

2.

3.

तदनुसार, सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि निधि की उपर्युक्त उल्लिखित शाखा(ओं)/ एकत्रीकरण केंद्र (द्रों)/एकत्रीकरण कार्यालय (यों)/ जमा केंद्र (द्रों) को तारीख.........से बंद कर दिया गया है।

निधि के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित

[कृते______(निधि)]

निधि का पता ________________________"।

[फा. सं. 5/28/2020-सीएल-VII]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि.114(अ), तारीख 14 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2022

G.S.R. 301(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 406 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Nidhi Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Nidhi (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Nidhi rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) 'Branch' means a place other than the registered office of Nidhi",

3. (1) In rule 3A of the said rules, after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided also that no company, which has not complied with the requirements of this rule, or fails to comply with such requirement on or after the commencement of the Nidhi (Amendment) Rules, 2022, or in case the application submitted by the company in Form NDH-4 is or has been rejected by the Central Government, shall raise any deposit from its members or provide any loan to its members under the provisions of these rules from the date of such non-compliance, or from the date of the commencement of the above said rules, or the date of rejection of the application in Form NDH-4, whichever is later.

Provided also that if any deposit raised by a company after the date of non-compliance, or the date of commencement of the above said rules, or the date of rejection of the application in Form NDH-4, whichever is later as referred to in the fourth proviso shall be deemed to have been raised in pursuance of Chapter V of the Act, and shall be subject to all the requirements under that Chapter, or under any other provisions of the Act or the rules made thereunder, as the case may be.

Provided also that nothing in this rule shall apply to companies incorporated as Nidhi on or after the commencement of the above said rules."

(3)(2) After rule 3A, of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

" 3B. (1) On and after commencement of Nidhi (Amendment) Rules, 2022, public company desirous to be declared as a Nidhi shall apply, in Form NDH-4, within a period of one hundred twenty days of its incorporation for declaration as Nidhi, if it fulfils the following conditions, namely:-

(I) it has not less than two hundred members; and

(II) it has Net Owned Funds of twenty lakh rupees or more.

(2) The company shall also attach, alongwith Form NDH-4, the declaration with regard to fulfilment of fit and proper person criteria, as per this sub-rule, by all the promoters and directors of the company.

(3) For the purpose of determining as to whether any promoter or director is a 'fit and proper person', the following shall be taken into account, namely:-

(a) integrity, honesty, ethical behaviour, reputation, fairness and character of the person; and

(b) the person not incurring any of the following disqualifications, namely:-

(i) criminal complaint or information under section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) has been filed by a person authorised by the Central Government against such person and which is pending;

(ii) charge sheet has been filed against such person by any enforcement agency in matters concerning economic offences which is pending;

(iii) an order of restraint, prohibition or debarment has been passed against such person by any regulatory authority or enforcement agency in any matter concerning company law, securities laws or financial markets which is in force;

(iv) an order of conviction has been passed against such person by a court for any offence involving moral turpitude;

(v) such person has been declared insolvent and not been discharged;

(vi) such person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;

(vii) such person has been categorised as a willful defaulter;

(viii) such person has been declared a fugitive economic offender;

(ix) such person is a director in five or more companies incorporated or declared as Nidhi, or is a promoter of three or more companies incorporated or declared as Nidhi.

(4) The Central Government, shall examine the application filed in Form NDH-4 and convey its decision within a period of forty five days to the company:

Provided that in case a decision on an application filed in form NDH-4 is not taken by the Central Government within the aforesaid period of receipt of such application, the same shall be deemed as approved.

(5) On being satisfied that the company meets the requirements under sub- rules (2) and (3), the Central Government, shall notify in the Official Gazette, declaring it as a Nidhi or Mutual Benefit Society, as the case may be:

Provided that the decision of the Central Government approving the application, shall be filed by the company with the Registrar alongwith Form 20A required under section 10A of the Act:

Provided further that such company shall commence its business only once the decision of the Central Government approving its application is obtained from the Central Government pursuant to the declaration given under rule 12 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

(6) In case a company does not comply with the requirements of sub- rule (1) of this rule, it shall not be allowed to file Form No. SH-7 (Notice to Registrar of any alteration of share capital) and Form PAS-3 (Return of allotment).

(7) The provisions of this rule shall not be applicable to a public company incorporated under the Act before the date of commencement of the Nidhi (Amendment) Rules, 2022.

4. In rule 4 of the said rules, in sub-rule (1), -

(a) for the words “five lakh rupees”, the words “ten lakh rupees” shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that every Nidhi existing as on the date of commencement of the Nidhi Amendment Rules,2022, shall comply with this requirement within a period of eighteen months from the date of such commencement”.

5. In rule 5 of the said rules, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“ (5) The provisions of this rule shall not be applicable for the companies incorporated as Nidhi on or after the commencement of the Nidhi (Amendment) Rules, 2022”.

6. In rule 6,of the said rules,

(i) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) acquire or purchase securities of any other company or control the composition of the Board of Directors of any other company in any manner whatsoever or enter into any arrangement for the change of its management”;

(ii) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely :-

“ (l) raise loans from banks or financial institutions or any other source for the purpose of advancing loans to members of Nidhi”.

7. In rule 8, of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) A member shall not transfer more than fifty percent of his shareholding (as on the date of availing of loan or making of deposit) during the subsistence of such loan or deposit, as the case may be.

Provided that the member shall retain the minimum number of shares required under sub-rule (3) of rule 7 at all times”.

8. In the said rules, in rule 9,

(a) for the words “ten lakh”, the words “twenty lakh" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that every Nidhi existing as on the date of commencement of the Nidhi (Amendment) Rules,2022 shall comply with this requirement within a period of eighteen months from the date of such commencement".

9. In rule 10, of the said rules,

(i) in sub-rule (3), after the words, "Regional Director", the words "by applying in Form NDH-2 along with fee specified in the Companies (the Registration Offices and Fees) Rules, 2014", shall be inserted;

(ii) in sub-rules (4) and (5) , the words "or collection centres or offices or deposit centres, or by whatever name called" shall be omitted;

(iii) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) (a) A Nidhi shall not close any branch, unless, -

(i) the proposal to close the branch along with the plan as to how the existing deposits have been or shall be paid off and how the existing loan shall be recovered is duly approved by the Board at its meeting; and

(ii) it has obtained the prior approval of the Regional Director by applying in Form NDH-2 along with fee as specified in the Companies (the Registration Offices and Fees) Rules, 2014 at least sixty days prior to such closure.

Provided that the Regional director shall consider such application and pass orders within a period of thirty days of receipt of such application.

(b) After obtaining approval from the Regional Director, the Nidhi shall-

(i) publish advertisement, as per format NDH-5, in a newspaper in vernacular language in the place where it carries on business at least thirty days prior to such closure, informing the public about such closure;

(ii) fixes a copy of such advertisement or a notice informing such closure of the branch on the notice board of Nidhi as well as the relevant Branch for a period of at least thirty days from the date on which advertisement was published;

(iii) give an intimation to the Registrar within a period of thirty days of such closure in Form NDH-2 along with fee as specified in Companies (the Registration Offices and Fees) Rules, 2014".

(iv) after sub-rule (6), the following sub-rule (7) shall be inserted, namely:-

" (7) Any place, not being a registered office or a branch, where a Nidhi carries on its operation shall be closed within a period of six months from the date of commencement of the Nidhi (Amendment) Rules,2022 and intimation shall be sent to the Registrar in this regard in Form NDH-2."

10. In rule 12 of the said rules, in sub-rule (1), after the word, "gold" the word "silver" shall be inserted.

11. In rule 14, of the said rules, in the proviso, after the words, "approval of the Regional Director", the words "by making application in Form NDH- 2 alongwith fee specified in the Companies (the Registration Offices and Fees) Rules, 2014" shall be inserted.

12. In rule 15, of the said rules, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that in case of joint shareholders, the loan shall be provided to the member whose name appears first in the Register of members".

13. For rule 18 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

" 18. Dividend. A Nidhi shall not declare dividend exceeding twenty five per cent in a financial year".

14. In rule 20, of the said rules, in sub-rule (6), after the word "gold", wherever it occurs , the words "or silver" shall be inserted.

15. In rule 23A, of the said rules, after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided further that no company which has not complied with the requirements of this rule, or fails to comply with such requirement on or after the date of commencement of the Nidhi (Amendment) Rules,2022, or in case the application submitted by the company in Form NDH-4 is or has been rejected by the Central Government, shall raise any deposit from its members or provide any loan to its members under the provisions of these rules from the date of such non-compliance, or the date of commencement of the said rules, or the date of rejection of the application in Form NDH-4, whichever is later.

Provided also that any deposit raised by a company after the date of non-compliance, or the date of commencement of the above said rules, or the date of rejection of the application in Form NDH-4, whichever is later, as referred to in the second proviso shall be deemed to have been raised in pursuance of Chapter V of the Act, and shall be subject to all the requirements under that Chapter, or under any other provisions of the Act or the rules made thereunder, as the case may be.

16. In the Annexure to the said rules,

(1) In Form NDH-2-

(a) for the heading "Application for extension of time", the heading "Application to Regional Director and Intimation to Registrar", shall be substituted ;

(b)for serial No. 4, the following shall be substituted, namely :-

"4. Application filed for:

(i) for extension of time under sub-rule (3) of rule 5

(ii) for permission of Regional Director for opening of branch under sub- rule (3) of rule 10

(iii) for permission of Regional Director for closing of branch under clause (a) of sub-rule 6 of rule 10

(iv) for intimation to Registrar for opening or closing of branch under rule 10

(v) for intimation to Registrar for closure of collection centres etc. under rule 10

(vi) for permission of Regional Director for withdrawal of unencumbered deposits under rule 14".

(c) for serial no. 6, the following shall be substituted, namely: -

"6. 'Reasons for the application'."

(2) In Form NDH-3, of the said rules, in serial number 8 after (vi), the following shall be inserted:-

"(vii) Net Owned Fund: _____";

(3) In Form NDH-4, -

(i) serial no. 9(a) shall be renumbered as 9(b) thereafter, and before serial number 9(b) as so renumbered, the following shall be inserted, namely:-

"9(a) Net Owned Fund: _________ ";

(ii) under heading Attachments, for serial number 5, the following shall be substituted, namely :-

" 5. Declaration with regard to fulfilment of fit and proper person criteria, as per sub-rule (3) of rule 3B, by all the Promoters and Directors of the company. ;

6. Optional attachment, if any"

(4) after Form NDH-4, the following shall be inserted namely:-

"NDH-5

Format of advertisement to be given while closing branch

[Pursuant to sub-rule (6) of rule 10 of the Nidhi Rules,2014]

Notice is hereby given that M/s __________ (Nidhi) having its CIN Number _______________ has obtained, the prior approval of the Regional Director at ________ (concerned region) [vide Approval Number ------------- dated ------------] for closure of branch(es)/ collection centre(s)/ collection office(s)/ deposit centre(s) of the Nidhi located at following places:-

1.

2.

3.

Accordingly, it is informed to all concerned that above mentioned branch(es)/ collection centre(s)/ collection office(s)/ deposit centre(s) of the Nidhi shall stand closed with effect from ________.

Signed by authorised signatory of Nidhi

[For __________ (Nidhi)]

Address of Nidhi_____________________________" .

[F. No. 5/28/2020-CL-VII]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 258(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended vide notification number G.S.R. 114(E) dated the14th February, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.19 20:08:12 +05'30'